संख्या-29/2017-1494 ई-2/तेरह-2017-06/2010टीसी

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 10 जुलाई,2017

विषय:-इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0 द्वारा संचालित महाराजा एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान मदिरा पिलाने हेतु अनापत्ति प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-177/दस-लाइसेंस-77/आईआर0सीटीसी/2017-18, दिनांक 19 जून,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0 द्वारा संचालित महाराजा एक्सप्रेस की निम्नलिखित 05 सफारी ट्रेनों के उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान पर्यटकों की सुविधा हेतु उक्त ट्रेनों में मदिरा पिलाने हेतु शासन की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

1-	The Heritage of India	Mumbai-Ajanta-Udaipur-Jodhpur-Bikaner-Jaipur-Ranthambore- Agra and Delhi.
2-	The Indian Splendour:-	Delhi-Agra-Ranthmbore-Jaipur-Bikaner-Jodhpur-Udaipur-Balasinor- Mumbai.
3-	Treasures of India	Delhi-Agra-Ranthmbore-Jaipur- Delhi.
4-	Gems of India	Delhi-Agra-Ranthambore-Jaipur Delhi.
5-	The Indian Panorama:-	Delhi-Jaipur-Ranthambore-Fatehpur Sikri-Agra-Gwalior-Khajuaraho-Varansi -Lucknow-Delhi.

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 19 जून,2017 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास की दृष्टि से इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0(भारत सरकार का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उद्यम-मिनी रत्न) रजि0 कार्यालय नवां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली को दिल्ली राज्य के लाइसेंस के आधारपर गत वर्ष की भाँति पूर्व शर्तों पर वर्ष 2017-18 के लिये उपरोक्त पांचों सफारी ट्रेनों के उत्तर प्रदेश से गुजरते समय पर्यटकों को मदिरा परोसे जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।